



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092022-238530
CG-DL-E-01092022-238530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3949]
No. 3949]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2022/भाद्र 10, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022/BHADRA 10, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

का.आ. 4125(अ).—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, 2019 (2019 का 30) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 10.10.2019 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 3659(अ) में, पैराग्राफ (3) के तहत तालिका में, उल्लिखित क्रम संख्या के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क्र. सं.	राज्य का नाम	नामित सदस्य का विवरण
(1)	(2)	(3)
15	महाराष्ट्र	लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. माधुरी राजीव कानिटकर, उप-कुलपति, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
17	मेघालय	प्रोफेसर पी. एस. शुक्ला, उप-कुलपति, नॉर्थ-ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग
20	ओडिशा	प्रोफेसर संजीव मित्तल, उप-कुलपति, संबलपुर विश्वविद्यालय
23	सिक्किम	लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) राजन सिंह ग्रेवाल, उप-कुलपति, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय

25	तेलंगाना	डॉ. करुणाकर रेड्डी, उप-कुलपति, कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
29	पश्चिम बंगाल	प्रोफेसर (डॉ.) सुश्रिता पॉल, उप-कुलपति, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

(2) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, 2019 (2019 का 30) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 3659(अ) दिनांक 10.10.2019, का.आ. 3677(अ) एवं 3681(अ) दिनांक 11.10.2019 में पैराग्राफ (5) के तहत तालिका में, उल्लिखित क्रम संख्या के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क्र. सं.	राज्य चिकित्सा परिषद का नाम	नामित सदस्य का विवरण
(1)	(2)	(3)
5	छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद	डॉ. महेश कुमार सिन्हा
5क	दिल्ली चिकित्सा परिषद	डॉ. राजीव सूद
6	गोवा चिकित्सा परिषद	डॉ. पद्मनाभ वामन राताबोली
8	हरियाणा चिकित्सा परिषद	डॉ. आर. के. अनेजा
19	सिक्किम चिकित्सा परिषद	डॉ. ओ. टी. लेपचा
21	तेलंगाना राज्य चिकित्सा परिषद	डॉ. वी. राजालिंगम
21क	त्रिपुरा राज्य चिकित्सा परिषद	डॉ. देवाशीष चक्रवर्ती

[फा. सं. वी. 11013/01/2019-एमईपी (पार्ट-I)]

वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2022

S.O. 4125(E).—In pursuance of provisions under clause (c) of sub-section (2) of Section 11 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), in the notification of the Government of India, the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3659(E) dated 10th October, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), under paragraph (3), in the table, the following entries against mentioned serial numbers shall be substituted:

Serial Number	Name of the State	Details of the nominated Member
(1)	(2)	(3)
15	Maharashtra	Lt. Gen. Dr. Madhuri Rajeev Kanitkar, Vice Chancellor, Maharashtra University of Health Sciences
17	Meghalaya	Prof. P.S. Shukla, Vice Chancellor, North-Eastern Hill University, Shillong
20	Odisha	Prof. Sanjiv Mittal, Vice Chancellor, Sambalpur University

23	Sikkim	Lt. Gen. (Dr.) Rajan Singh Grewal, Vice Chancellor, Sikkim Manipal University
25	Telangana	Dr. Karunakar Reddy, Vice Chancellor, Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences
29	West Bengal	Prof. (Dr.) Sushrita Paul, Vice Chancellor, West Bengal University of Health Sciences

(2) In pursuance of provisions under clause (e) of sub-section (2) of Section 11 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), in the notification of the Government of India, the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3659(E) dated 10th October, 2019, S.O. 3677(E) and 3681(E) dated 11.10.2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), under paragraph (5), in the table, the following entries against mentioned serial numbers shall be substituted:

Serial Number	Name of the State Medical Council	Details of the nominated Member
(1)	(2)	(3)
5	Chhattisgarh Medical Council	Dr. Mahesh Kumar Sinha
5A	Delhi Medical Council	Dr. Rajiv Sood
6	Goa Medical Council	Dr. Padmanabh Vaman Rataboli
8	Haryana Medical Council	Dr. R. K. Aneja
19	Sikkim Medical Council	Dr. O. T. Lepcha
21	Telangana State Medical Council	Dr. V. Rajalingam
21A	Tripura State Medical Council	Dr. Debasish Chakraborty

[F. No.V.11013/01/2019-MEP(Pt.I)]

V. HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.